

वित्तीय सहायता उपलब्ध है

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से दो समान किस्तों में सीधे लाभार्थी के खाते में सब्सिडी की सीमा तक 50% पूँजीगत सब्सिडी दी जायेगी।

सब्सिडी की सीमा : 50 लाख रु.

आवेदन की प्रक्रिया



विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए विभाग की वेबसाइट www.dahd.nic.in या www.nlm.udyamimitra.in को देखें या राज्य पशुपालन विभाग से संपर्क करें।



पशुपालन और डेयरी विभाग
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते



आजीविका से उद्यम विकास की ओर...

भेड़ और बकरी पालन में नस्ल विकास के उद्यमी बनें




भेड़ और बकरी प्रजनन यूनिट की स्थापना करें

पात्र संस्थाएं

निजी व्यक्ति / स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) /
किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) /
किसान सहकारिताएं (एफसीओ)

संयुक्त देयता समूह (जे एलजी) और धारा 8 की कंपनियां



क्रम सं.	विवरण	यूनिट
1	मूल स्टॉक के लिए आवास शेड का निर्माण (55 फीट X 100 फीट)	5500 वर्ग फीट
2	किड शेड और सिक पेन	3500 वर्ग फीट
3	डो की लागत	500 यूनिट
4	बक की लागत	25 यूनिट
5	परिवहन की लागत	525 यूनिट
6	चारे की खेती	5 एकड़
7	भूसा काटनेवाला	2 यूनिट
8	एकीकृत साइलेज बनाने की मशीन	1 यूनिट
9	उपकरण	525 जानवरों के लिये
10	बीमा	525 जानवरों के लिये
11	विविध	आवश्यकता अनुसार

